

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0-9/आ0-04-01/2026(स्वा0) /पटना, दिनांक:-.....

श्री सिद्ध कोडा, उर्फ मुंशी दा, पोस्ट-एतवा मरौंडी, साकिन नेहालडीह थाना-चकाई जिला जमुई का दिनांक-22.02.2020 को पुलिस हिरासत में मृत्यु होने के फलस्वरूप अन्त्य परीक्षण का वीडियोग्राफी कराई गयी थी। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जमुई के पत्रांक-117 दिनांक-22.10.2021 द्वारा स्वर्गीय कोडा के अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन के वीडियोग्राफी एवं रिपोर्ट से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के द्वारा प्रतिवेदित है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सीय दल के चिकित्सको द्वारा बाह्य व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाह के रूप में नाम दर्ज नहीं किया गया, मृत्यु के कारण को चिन्हित करने वाले विशिष्टियों को अंकित नहीं किया गया। मृतक के नाक, कान एवं मुँह से खून निकलने एवं शरीर पर कटे का निशान का उल्लेख नहीं किया गया।

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन वाद सं0-643/4/14/2020 में दिनांक-29.10.2025 को पारित आदेश में अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने वाले चिकित्सीय दल के चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

3. डॉ० देवेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को श्री कोडा के अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन में वास्तविक तथ्यों को छिपाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के अधीन निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में डॉ० कुमार का मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में डॉ० कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ0-04-01/2026(स्वा0) /पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एव हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ0-04-01/2026(स्वा0) 2.18.21... /पटना, दिनांक:-...10.03.2026

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी जमुई/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्रांक-1524 दिनांक-10.02.2026 एव 2506 दिनांक-09.03.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 17 एव 18A स्थापना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डॉ० देवेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-Department PMU Lead/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र
10/03/2026
सरकार के अवर सचिव।